

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-02-18/2012(खण्ड-II/

पटना, दिनांक-

मार्च, 2015

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी(स्था०),
राज्यपाल सचिवालय,
बिहार, पटना।

विषय:- आवेदन/परिवाद पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-ज०शि०को०-01/2014-3980 दिनांक-18.12.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न श्री नीरज सिंह द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में कहना है कि:-

1. मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत सूचना में स्पष्ट उल्लिखित है कि "पैनल में चयनित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। किसी भी समय बिना कारण बताये उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है।"

साथ ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिये राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में निम्न आशय की सूचना भी प्रकाशित किया गया था "मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिये तैयार किये गये पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी अथवा मासिक रूप से किसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उनसे कार्य किये जाने की स्थिति में उसके एवज में उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जायेगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में भी होने वाली किसी भी नियुक्ति में किसी मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV की नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।"

2. विज्ञापन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया था कि मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिए पैनल निर्माण न तो कोई सरकारी सेवा के लिए है जिस पर नियुक्ति की जानी है और न तो नियत मानदेय के आधार पर कोई नियोजन। इसलिए पूर्व में किसी कार्य में पूर्णकालिक रूप से संलग्न होने अथवा संबंधित प्रखंड/पंचायत से बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को अपना पूर्व का कार्य छोड़कर मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के रूप में आना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

वरीय संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक-

354

दिनांक-

16-03-15

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री नीरज सिंह को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय संयुक्त निदेशक।